राजस्थान सरकार

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः निदे/मुनिदयो/2020/653 दिनांक 19/08/2020

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा हृदय रोग, मधुमेह एवं टी.बी. जैसी Non Communicable बीमारियों हेतु निःशुल्क दवा वितरण की व्यवस्था Drug Distribution Center पर की हुई है। वर्तमान में COVID-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण कतिपय स्थानों पर बीमार व्यक्ति चिकित्सा संस्थानों में स्थित Drug Distribution Center पर आने में संकोच कर रहें है जिससे उनकी चिकित्सा में व्यवधान होने की सम्भावना है।

अतः Non Communicable Diseases से पीड़ित Chronic बीमार व्यक्तियों की निर्बाध चिकित्सा सुनिश्चित करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार निःशुल्क दवा वितरण Door Step तक Mobile Vans के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

इसी प्रकार हृदय रोग, मधुमेह जैसी अन्य गंभीर बीमारियों सहित सामान्यतः उपयोग में आने वाली आवश्यक दवा सूची में शामिल जिला स्तरीय चिकित्सालय तक की बहिरंग रोगियों को दी जाने वाली तीन महीने तक की दवाईयां एवं प्रा.स्वा.केन्द्र स्तर की जांच सुविधा जिलों में संचालित एमएमयू/एमएमवी एवं किराये के वाहनों द्वारा रोगियों को उनके राजस्व गांव तक निःशुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी।

दो महीने में एक बार उनके राजस्व गांव तक चिकित्सकीय परामर्श हेतु चिकित्सक, औषधि वितरण हेतु फार्मासिस्ट, जांच करने हेतु लैब टैक्निशियन एवं गंभीर मरीज पाये जाने पर नर्सिंग केयर की सुविधा हेतु नर्सिंग कर्मियों की सेवायें प्रत्येक राजस्व गांव तक मोबाईल मेडिकल वैन द्वारा उपलब्ध करवायी जाए।

उक्तानुसार क्षेत्रवार Route chart बनाकर, स्थानीय स्तर पर इसका समुचित प्रचार किया जाए। Route chart बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जावे कि यथा सम्भव एक ब्लॉक (अथवा शहरी क्षेत्र के Zone) का सम्पूर्ण Coverage दो माह में एक बार कर लिया जाए। अनुपालना में की गई कार्यवाही की पाक्षिक विवरण प्रपत्र 'अ' में राज्य स्तरीय IDSP Cell में प्रति माह दिनांक 5 एवं 20 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाए।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव,

क्रमांकः निदे/मुनिदयो/2020/653 दिनांक 19/08/2020

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एंव स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क.विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निजी सहायक, मिशन निदेशक, एनएचएम, मुख्यालय, जयपुर।
7. निजी सहायक, प्रबंध निदेशक, आरएमएससीएल, मुख्यालय, जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, समस्त जोन, राजस्थान।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
13. प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित के अतिरिक्त निदेशालय एवं अन्य जिला स्तरीय समस्त अधिकारियों को ईमेल कराने हेतु।

(डॉ के.के. शर्मा),
निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

<u>परिशिष्ठ 'अ'</u>

क्रम संख्या	जिला	खण्ड	ग्राम	**Chronic Patients**	**Visit** किये गये ग्राम	दवा वितरित किये गये **Beneficiaries**	की गई जाँच	टिप्पणी